सामाजिक सुरक्षा : आयाम एवं प्रयास

डा0 अखिलेश कुमार सिंह

सहायक प्रोफेसर,

श्रीमती इन्दिरा गांधी राजकीय पी0जी0 कालेज,

लालगंज, मीरजापुर

''मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि तुम मुश्किलों से बचाओ ।
मुश्किलों से पार पाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करो ।
मेरा बोझ मत बांटो या मुझे सांत्वना मत दो ।
मुझे बोझ वहन करने की शक्ति दो ।''

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रविन्द्र नाथ टैगोर को उद्धत करते हुए ।

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचित, कमजोर एवं हाशिए पर रह रहे समुदायों, बच्चों बुर्जुग महिलाएं एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए गरिमापूर्ण भरण पोषण की सतत उपलब्धता हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ''सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, जो कि समाज उपर्युक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों के जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों में प्रदान करता है । सुरक्षा एक मानसिक स्थिति है और एक वास्तविक व्यवस्था भी है । सुरक्षा प्राप्त होने का अर्थ है कि मनुष्य को यह विश्वास कि उसका भविष्य सुरक्षित है ।

सर विलियम वेवरीज 1942 रिपोर्ट जो दुनिया में लोक कल्याणीकारी राज्य के उदय का आधार है उसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी विकट स्थितियाँ उत्पन्न हो जिसके कारण आय का स्त्रोत रुक जाए उसे ही सामाजिक सुरक्षा कहते है ।

किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लम्बे समय से बिना किसी प्रकार के स्वास्थ्य, दुर्घटना या जीवन बीमा के रह रहा था । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो कुल श्रम शक्ति 47. 29 करोड़ का 88 प्रतिशत है, के पास कोई औपचारिक पेंशन का प्रावधान नहीं है । स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि देश के 80 से 90 प्रतिशत लोगों की पहुंच अभी तक बीमा और पेंशन तक नहीं हुई है, तथा विकास का फल निर्धनतम लोगों तक नहीं पहुंचा है इसलिए देश के सभी नागरिकों के बेहतर जीवन के लिये एक विश्वशनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत उपाय और संसाधनों की सुगम उपलब्धतता केन्द्रीय महत्व का है । इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के शुभारम्भ की घोषणा की । क्रमशः **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** एवं **अटल पेंशन योजना** । ये तीनों ही योजनाएँ बीमारी, दुर्घटना या बुढ़ापे के समय में नागरिकों की रक्षा के लिए जनधन योजना के प्लेटफार्म पर आधारित है । भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दो तरीके अपनाए जाते है । **पहला**–कानून एवं सांविधिक नियमों के तहत **दूसरा**–विभिन्न सामाजिक बीमा योजनाओं एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से । 9 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों और वंचितों को लक्षित कर एक सार्वभौमिक सुरक्षा

पद्धति विकसित करने हेतु तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा कोलकाता में की । उन्होंने कहा कि कोलकाता का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था बंगाल जो आज सोचता है, वह भारत कल सोचता है ।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है । इस बीमा योजना का सलाना प्रीमियम 330 रु0 है । जिसका हर वर्ष नवीनीकरण किया जायेगा । इसमें किसी भी कारण हुई मौत के लिए दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर है और यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग (लाइफ कवर 55 वर्ष तक) के लोगों के लिए जिनका बैंक में खाता है और जो उसमें शामिल हो और ऑटो – डेविड हेतु सहमति देते है, उपलब्ध है । इस योजना के क्रियान्वयन से वहन करने की क्षमता के साथ गरीबों तथा वंचितों को लक्षित करना सम्भव होता है, इससे देश में जीवन बीमा की कम पहुंच की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा । 1 जनवरी 2017 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बैंको द्वारा किया गया संचयी सकल नामांकन 3.40 करोड़ से अधिक है । इस योजना के अधीन 11600 से अधिक दावे पंजीकृत किए गए जिसमें 9300 से अधिक दावों का निपटारा किया जा चुका है ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है । दुर्घटना होने पर, मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली यह योजना 18–70 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए है और इसका लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी बैंक में खाता है और वे इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो डेबिट यानि खाते से स्वतः प्रीमियम काटने के विकल्प को अपनाते है । इस योजना के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा । इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये दिये जायेगें । गरीबों के लिए इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है क्योंकि यह अपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है । इससे देश में दुर्घटना बीमा सुविधाओं में विस्तार में मदद मिलेगी । 1 जनवरी 2017 तक बैकों द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत किया गया कुल संचयी नामांकन 9.28 करोड़ से अधिक है । इस योजना के तहत 2200 से अधिक दावें दर्ज किए गए जिनमें से अब तक 1200 दावों की अदायगी की जा चुकी है ।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसकी शुरुआत 25 अगस्त 2014 को की गई । इस योजना के तहत 28 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले । जनधन योजना बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए बैकिंग सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन के रुप में इस उद्देश्य के साथ शुरु की गई थी कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता है । प्रधानमंत्री जनधन योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है । (1) प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो जो रुपये डेबिट कार्ड के साथ हो तथा जिसमें एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर हो । (2) 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद रुपये 5000 तक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा (3) अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के बीच पहली बार खाता खोलने वालों के लिए 30000 रुपये का जीवन बीमा कवर

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नहीं आते है उनके जोखिम के निवारण एवं वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने हेतु की गई थी । अटल पेंशन योजना इसकी अवधि और अंशदान के आधार पर सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराती है । अटल पेंशन योजना के अधीन अंशदाता 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 प्रति माह, 2000 रु0 प्रतिमाह 3000 प्रति माह, 4000 हजार प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन अंशदान के आधार पर प्राप्त करेगें । यह स्वयं अटल पेंशन येाजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर है । यह योजना सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुली है । केन्द्रिय सरकार कुल अंशदान का 50 प्रतिशत सह–अशंदान देती है । तथा यह अधिकतम 1000 रुपये प्रतिवर्ष की शर्त के अधीन प्रत्येक पात्र अंशदाता के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जो कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 जो एक जून 2015 और 31 मार्च 2016 की अवधि के साथ अटल पेंशन योजना में शामिल होगें और जो किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा में योजना के सदस्य नहीं है और जो आयकर दाता नहीं है ।

आम आदमी बीमा योजना

समाज के दुर्बल वर्गों के लाभ हेतु भारत सरकार ने उच्च सब्सिडी वाली बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना आरम्भ की है, जिसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम करती है । सामाजिक सुरक्षा की इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे एवं गरीबी की रेखा से आंशिक ऊपर के नागरिकों को 48 चिन्हित व्यवसायों के भीतर कवर किया जाता है । प्राकृतिक मृत्यु होने पर योजना 30,000 रुपये की बीमा राशि देती है । दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता होने पर नामित व्यक्ति अथवा, लाभार्थी को 75000 रुपये एवं आंशिक पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 37500 रुपये दिये जायेगें । ये सभी लाभ 200 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर मिल रहे हैं, जिसमें 100 रुपये केन्द्र सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष से वहन करेगी और 100 रुपये की शेष प्रीमियम राशि का सदस्य अथवा नोडल एजेन्सी या राज्य सरकार के उस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । इस लाभ के अलावा बीमित व्यक्ति के परिवार में नवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ रहे दो बच्चों को 1200 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जायेगा ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

सरकार ने अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 1 अक्टूबर 2007 से ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना'' प्रारम्भ की गई । यह योजना पहली अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण भारत में लागू हुई । योजना के तहत लाभार्थी परिवार को नगदी भुगतान के बिना स्मार्ट कार्ड के आधार पर प्रतिवर्ष 30000 रुपये का बीमा उपलब्ध कराया जायेगा । जिसमें केन्द्र तथा राज्यों की भागीदारी क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत की होगी । पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में यह अनुपात 90:10 का है । 1 मार्च 2014 तक कुल 4.10 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए गए है । स्मार्ट कार्ड का खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी । योजना की मुख्य विशेषताए –

1. 30000 की स्वास्थ्य बीमा जो प्रत्येक परिवार के प्रति वर्ष परिवर्तनीयता लाभ पर आधारित है । सभी बीमारियों के लिए कैशलेस सुविधा
2. मातृत्व लाभ सहित अधिकतर सामान्य बीमारियों की देखभाल सहित अस्पताल में भर्ती होने का खर्च

3. पूर्ण व्याप्त बीमारियों का कवरेज ।

सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम सामाजिक सुरक्षा

भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों को निर्देश देते है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार लोक कल्याण कारी योजना लागू करें । संविधान का अनुच्छेद 41 राज्यों को निर्देश देता है कि वे अपने नागरिकों को बेरोजगारी वृद्धावस्था बीमारी, निःशक्तता में सहायता दे और अपनी विकास एवं आर्थिक क्षमता के आधार पर उनकी मदद करें । अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी का भी प्रावधान है । इस आदर्श के अनुपालन में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरु किया । वित्तीय वर्ष 2014–15 में सामाजिक सहायता कार्यक्रम को केन्द्र प्रायोजित योजना में बदल दिया गया तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजनावार राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाने लगी है । राज्यों में मुख्य रुप से सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है । वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :** 60–79 वर्ष आयु वर्ग में पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 2009 रुपये की पेंशन सहायता दी जाती है तथा 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है । जनवरी 2016 तक 152 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है ।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया । इस योजना के तहत 40–79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये की पेंशन सहायता प्रदान की जाती है । 80 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन सहायता पाने के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानान्तरित किया जाता है । दिसम्बर 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत 39 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

इस योजना को भी वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया । योजना के अन्तर्गत 18–79 वर्ष की आयु वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित गम्भीर अथवा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रुपये की पेंशन दी जाती है । 80 वर्ष की आयु पूरा होने पर लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपये की सहायता देने के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना में स्थानान्तरित किया जाता है । दिसम्बर 2015 तक इस योजना के तहत 5.53 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है ।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

इस योजना के अन्तर्गत 18–59 वर्ष की आयु वर्ग के प्रमुख कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को 20000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है । दिसम्बर 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत 40 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन

वर्तमान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को

मिलाकर दीन दयाल अन्त्योदय योजना नाम दे दिया । दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन का प्रमुख लक्ष्य शहरी गरीब हैं, इसमें शहरी बेघर शामिल है इसमें शहरी आबादी के संवेदनशील वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिला प्रधान परिवारों दिव्यांगों, बेघर लोगों प्रवासी श्रमिकों और निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर आदि को एकजूट करने पर विशेष बल दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों को विभिन्न चरणों में आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय प्रदान करने की योजना है । इसके अलावा मिशन में शहरी रेवड़ी–पटरी वालों की आजीविका के मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है । इसके लिए उपयुक्त स्थानों पर पहुंच को सरल बनाने, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा तथा बाजार में उभरते अवसरों तक पहुंचने के लिए कौशल की व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुर्नगठित कर वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किया गया जिसको बाद में दीन दयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया । मिशन का मुख्य उद्देश्य है सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय सृजन कर परिसम्पत्तियों प्रदान करके गरीबी रेखा से ऊपर उठाना । मिशन का मुख्य उद्देश्य है (अ) चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क से देश में प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को लेना, (ब) अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति विशेषकर वंचित जनजाति, समूहों, अक्षम और अन्य कमजोर और वंचित परिवारों से महिलाओं को जुटाने पर विशेष बल (स) वित्तीय समावेशन एवं ब्याज सब्सिडी का प्रावधान (द) क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना

भारत विश्व का सबसे युवा देश है जिसकी 65 प्रतिशत आबादी युवा है । 'युवा शक्ति ने भारत के सामने आपार अवसर पैदा किए है। वहीं इसके साथ कई चुनौतियॉ भी है । क्योंकि एक ओर तो इसका कौशल विकास करना है तो दूसरा उन कौशलों का प्रयोग करने की दोहरी चुनौती है । क्योंकि कौशल का उपयोग न किये जाने का अर्थ है उन्हें गवा देना । श्रम ब्यूरो के अद्यतन आंकड़े के अनुसार भारत में औपचारिक तौर पर कुशल कार्यबल के आकर बहुत छोटा लगभग 2 प्रतिशत है । इसलिए उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए । एक पृथक मंत्रालय **कौशल विकास एवं उद्यमिता** का गठन किया गया । प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 5.32 लोगों का नामांकन किया गया है । इस योजना का उद्देश्य 24 लाख भारतीय युवाओं को सार्थक उद्योग संगत, कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रमाण–पत्र देना तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए नौकरी प्राप्त करने में सहायता करना एवं सतत आजीविका प्राप्त करना है । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के घटक के तौर पर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की भी शुरुआत की गई । यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार की गई प्लेसमेंट संयोजित कौशल विकास स्कीम है । 2015–16 के दौरान इस योजना के तहत 1.78 लाख उम्मीदवारों को कौशल युक्त बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष 1.75 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और फरवरी 2016 तक – 0.70 लाख उम्मीदवारों को नियोजित कर दिया गया । जिससे न केवल

रोजगार मिला बल्कि गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकी ।

प्रधानमंत्री आवास योजना

सभी के लिए आवास (शहरी) मिशनः वर्तमान सरकार – की महत्वाकांक्षी योजना – जिसके तहत 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की । यह मिशन मलिन बस्तियों और अन्य स्थानों पर रहने वाले शहरी गरीबों को ध्यान में रखकर शुरु किया गया है । इसमें शहरी गरीबों की स्थिति सुधारने के कार्य को सरकार द्वारा हाथ में लेने पर इस प्रकार ध्यान दिया गया कि झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी पात्र लोगों के लिए औसतन प्रति घर एक लाख रुपये की आर्थिक मदद कमजोर वर्ग के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी के जरिये सस्ता आवास को बढ़ावा जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग की श्रेणियों के लिए आर्थिक सहायता पर ब्याज 6.5 होगी ।

कानून के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

भारत सरकार द्वारा विभिन्न आकस्मिकताओं की स्थिति से निपटने के लिए कई प्रकार के कानून एवं अधिनयामों के माध्यम से कमजोर, वंचित वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिनमें कुछ निम्नलिखित है –

1. **कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 –**
सन् 1923 में कामगार मुआवजा अधिनियम पारित होने के साथ सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत हुई । इसके अन्तर्गत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सेवाकाल के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु या अपंग होने की स्थिति में मुआवजा देने का प्रावधान है । स्थायी व पूर्ण विकलांगता होने पर न्यूनतम मुआवजा राशि 140000.00 रुपये और मृत्यु होने पर 120000 रुपये निर्धारित की गई है । कर्मचारी की आयु और वेतन के हिसाब से मृत्यु होने पर अधिकतम मुआवजा 9.14 लाख रुपये और स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 10.97 लाख रुपये निर्धारित किया गया है । इस अधिनियम को 23 दिसम्बर 2009 से कर्मचारी मुआवजा (संशोधन) अधिनियम 2009 कर दिया गया है ।

2. **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 –**
प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 कार्यरत महिलाओं के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक विधान का एक नमूना है । अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात कुछ समय तक महिलाओं से काम करवाने पर प्रतिबन्ध है । कुछ शर्तों को पूरा करने पर गर्भावस्था के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में मातृत्व अवकाश तथा वित्तीय लाभ देने का प्रावधान किया गया है । गर्भावस्था के दौरान कार्य पर उपस्थित न होने के लिए महिला को नौकरी से नहीं निकाला । महिलाएं अधिकतम 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ ले सकती हैं । इसमें से छह सप्ताह प्रसव पूर्व तथा छह सप्ताह प्रसव प्रश्चात् लिये जा सकते हैं ।

3. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) –**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को ईएसआई (संशोधन) अधिनियम 2010 के माध्यम से संशोधित किया गया है । सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने, बकायों के निर्धारण के लिए प्रक्रिया को तेज करने तथा लाभार्थियों को बेहतर सुविधा

उपलब्ध कराने के लिए यह 1 जून 2012 से प्रभावी हुआ ।

4. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 –

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, कंपनियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है । इस अधिनियम के अनुसार, हर वर्ष के सेवा काल पर कर्मचारी को 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रुप में दिया जाता है, बशर्ते यह रकम 10 लाख रुपये से अधिक न हो ।

5. कर्मचारी निक्षेप सह बीमा योजना 1976 –

एक अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय, कर्मचारी निक्षेप सह बीमा योजना 1976 कर्मचारी भविष्य निधि छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्यों के लिए 1 अगस्त 1976 से लागू की गई । भविष्य निधि या छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य, भविष्य निधि में एकत्रित राशि प्राप्त करने के पात्र सदस्य की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसे अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो कर्मचारी की मृत्यु से पहले के 12 महीनों में जमा राशि के औसत के बराबर होगी । इस योजना के तहत अधिकतम लाभ देय राशि, 100000 रुपये की होगी और कर्मचारियों को कोई अभिदान नहीं करना होगा ।

6. असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 –

भारत सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 बनाया । यह अधिनियम केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने की सिफारिश करेगें । राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय समाजिक बोर्ड जीवन और विकलांगता, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और अन्य सुविधाएं देने की सिफारिश करेगा और राज्य स्तरीय बोर्ड कल्याणकारी योजनाएं जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी जख्मी सुविधा, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक योजना, कर्मचारी के कौशल को बढ़ाने, अन्तिम संस्कार में मदद और वृद्ध आश्रम की सिफारिश करेगा । यह अधिनियम 16 मई 2009 से प्रभावी है । अधिनियम के प्रावधान के तहत एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन हुआ है । बोर्ड ने सिफारिश की थी सामाजिक सुरक्षा योजनायें यथा स्वास्थ्य और मातृत्त लाभ की **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना**, मृत्यु और अक्षमता के लिए **जनश्री बीमा योजना** तथा **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना** के दायरे को असंगठित श्रमिकों की निश्चित श्रेणी के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

7. न्यूनतम पेंशन का क्रियान्वयन –

सरकार ने 2014 में एक अधिसूचना जारी की जिसमें सदस्य / विधवा / दिव्यांग / नामांकित सदस्य को 1000 रुपये मासिक पेंशन, यतीम पेंशनरों को 750 रुपये प्रतिमाह तथा बाल पेंशनरों को 250 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का नियम है । आरम्भ में यह 2014–15 के लिए लागू था ।

वर्तमान में पेंशन के वितरण के लिए बैंको की कोर बैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है । फील्ड ऑफिसर को यह निर्देश जारी हो चुके हैं कि पेंशनर के खाते में महीने के पहले कार्यदिवस तक पेंशन पहुंच जानी चाहिए ।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाए जा रहे हैं । इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लोगों को विभिन्न आकस्मिकताओं में बेहतर आयु–सुरक्षा तथा सतत् आजीविका प्राप्त हो रहा है फिर भी समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है । विश्व–बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 15 प्रतिशत लोगों के पास ही सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है । स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ''यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि देश के 80 से 90 प्रतिशत लोगों की पहुंच अभी तक बीमा और पेंशन तक नहीं है ।'' इसलिए आवश्यकता है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सभी सामाजिक सुरक्षा योजनओं का सोशल ऑडिट सुनिश्चित कराना, योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना, तकनीक के माध्यम से सीधे लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच ताकि बिचौलियों एवं मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो और अंत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता एवं जन जागरुकता का जिससे इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और अधिक से अधिक संख्या में इन योजनाओं से लोग जुड़ सकें ।

सन्दर्भ

- Government of India, Planning Commission, Report of the Working Group on Social Security for the Eleventh FIve Year Plan 2007-12 Page 12.
- Stephen Mckay & Karen Rowlingson, Social Security in Britain (Palgrave Macmillan) 1989 Page 54.
- भारत सन्दर्भ ग्रन्थ 2012 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ0 988–989
- भारत सन्दर्भ ग्रन्थ 2015 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ0 594–596
- भारत सन्दर्भ ग्रन्थ 2017 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृ0 380–381
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 एवं 43
- टेलीग्राफ 10 मई 2015 कोलकाता ।
- हिन्दुस्तान, 10 मई 2015 नई दिल्ली ।
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वेबसाइट www.ilo.org : Approach as to Social Security, Geneva Page 81
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट ww.labour.nic.in/Social security

Copyright © 2017 *Dr. Akhilesh Kumar Singh*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.